न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः—08 / 2026

तारीख दायर—27.02.2026

तारीख—निर्णय—27.03.2026

1. श्री वरदीचन्द पिता मांगीलाल चौधरी निवासी लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री मदन मोहन चौधरी पिता मांगीलाल चौधरी निवासी लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री सुन्दर लाल पिता मांगीलाल चौधरी निवासी लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्री ललित कुमार पिता मांगीलाल चौधरी निवासी लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

........प्रार्थीगण

बनाम

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ...ा—सलूम्बर

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

............अप्रार्थी

उपस्थित—प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री जॉनी जैन

अप्रार्थी की ओर से—श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 131 एल.आर.एक्ट

—: : निर्णय : :—

प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों के स्वत्व आधिपत्य की सामलाती भूमि मौजा लसाडिया, पटवार हल्का लसाडिया भू.अ.निरीक्षक लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 787 व पुराना 704 के आराजी संख्या 3626 / 13 रकबा 2.5920 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या नया (791) पुराना (708) में वर्णित आराजी 3626 / 14 रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि, एवं खाता संख्या नया (789) पुराना (706) में वर्णित आराजी 3626 / 8 रकबा 0.7560 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो प्रार्थीगणों को राज्य सरकार द्वारा आंवटित हुई थी तत्पश्चात् उक्त भूमि सेटलमेंट मे नवीन आराजी नम्बर 3626 / 13, 3626 / 14, 3626 / 8 किता 03 रकबा 5.5080 हैक्टेयर कायम हुए। प्रार्थीगणों द्वारा कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि वर्तमान में हुए नविन सेंटलमेंट उक्त भूमि को नवीन नक्शें में गलत जगह तरमीम कर दी जो भूमि पूर्व में रास्ते के पूर्वी दिशा में स्थित थी उक्त भूमि को वर्तमान में रास्ते दूर एवं वर्तमान मौके एवं कब्जे वाली भूमि के पिछे की ओर दर्शित कर दी गई जबकी प्रार्थीगणों का वर्तमान में साविज जमांबदी एवं नक्शे अनुसार जो भूमि पूर्व में प्रार्थीगणों

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

के पूर्वाधिकारी को आवंटीत हुई थी उसी भूमि पर कब्जा हों उपयोग, उपभोग चला आ रहा है, किन्तु नवीन सेंटलमेंट में राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से उक्त भूमि को वर्तमान भूमि के पिछे की और नवीन नक्शें में दर्शित कर दिया है जो गलत है। प्रार्थीगण कलम संख्या 01 में वर्णित अपने कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की भूमि पर साबिक नक्शें एवं जमागंदी के अनुसार काबिज हैं, किन्तु नवीन सेंटलमेंट में उक्त भूमि को मौके एवं कब्जे की भूमि के पिछे की और दर्शित कर दिया है , जिससे हम प्रार्थीगणों को भारी दिक्कत का सामना करना पड रहा है इसलिये राजस्व नक्शें में हुई भूल को शुद्धि के जरिये सही तरमीम किया जाना न्याय हित में नितान्त आवश्यक है। उक्त वाद ग्रस्त आराजी मौजा लसाडिया , पटवार हल्का लसाडिया, भू.अभिलेख निरीक्षक लसाडिया तहसील लसाडिया से सम्बन्धित होने से सुनवाई का अधिकार आप न्यायालय न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षैत्र में होने से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगणों को आप न्यायालय में पूर्ण न्याय मिलने की सम्भावना है , प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कलम नम्बर 01 में वर्णित वादग्रस्त आराजी नम्बर 3626/13,3626/14,3626/8 की भूमि को मौके एवं साबिक नक्शें अनुसार नवीन सेंटलमेंट के नक्शें में तरमीम शुद्धि किये जाने का आदेश फरमावें। जहां पर वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज है।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है की राजस्व ग्राम लसाडिया पटवार मण्डल लसाडिया की वर्तमान जमाबंदी के अनुसार आराजी नम्बर 3626/13 रकबा 2.5920 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय वरदीचद पुत्र मांगीलाल हिस्सा पूर्व जाति कलाल सा. देह खातेदार, व 3626/8 रक़बा 0.7560 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय वरदीचद पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/2 वगैराह जाति कलाल सा. देह खातेदार व 3626/14 रकबा 2.1600 हैक्टयर किस्म मंगरी वरदीचंद पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/4 वगैराह जाति कलाल सा.देह खातेदार भूमि प्रार्थीगण के नाम की खातेदारी भमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। आराजी नम्बर 3626/14 रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि जरिये आवंटन नामांतरण संख्या 387 से प्रार्थीगणों के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई है प्रार्थीगणों के पास खातेदारी से गैर खातेदारी करने के बाद तत्कालीन पटवारी द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी के तीनों आराजी का शामिल 3626/13, 3626/8 व 3626/14 जारी नक्शा ट्रेस भी उपलब्ध है जिसकी जॉच करने पर वर्तमान मौका स्थिती के अनुसार पाया गया। मौका जॉच में वर्तमान में पाया गया की प्रार्थीगण जहॉ काबिज है वहा पर राजस्व नक्शें में राजस्व ग्राम लसाडिया की आराजी संख्या 3626/4, 3739/3720, 3719/3626 की तरमीम हो रखी हैं लेकिन उक्त आराजी के खातेदार मौके पर अन्य जगह निर्विवाद काबिज

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

है तथा राजस्व ग्राम लसाडिया के आराजी क्रमशः 3626/6, 3626/12, 3626/2, 3626/4, 3626/11, 3626/4, 3719/3720, 3739/3720, 3626/7, 3626/9, 3626/10, 3626/8, 3626/13, 3626/14, के खातेदारों की मौका स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम ना होकर एक दुसरों के कब्जे में हो रखी है जबकी मौके पर आराजी नम्बर 3626/6, 3626/12, 3626/7 के खातेदारों द्वारा पास बुक मे लगे नक्शें के अनुसार मौके पर काबिज है मौके पर उपस्थित उक्त आराजीयों के खातेदारों द्वारा बताया गया की हमें आवंटन के पश्चात् आज दिनांक वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार निर्विवाद काबिज है। राजस्व ग्राम लसाडिया के आराजी क्रमशः 3626/6, 3626/12, 3626/2 3626/4, 3626/11, 3626/4, 3719/3720, 3739/3720, 3626/7, 3626/9, 3626/10, 3626/8, 3626/13, 3626/14, मौका जॉच के समय उक्त आराजीयों के उपस्थित खातेदारों द्वारा राजस्व नक्शें में मौका अनुसार शुद्धिकरण की जाती है तो कोई आपत्ति नही है सहमती प्रदान की गई। राजस्व ग्राम लसाडिया के आराजी क्रमंश 3626/6, 3626/12, 3626/2 3626/4, 3626/11, 3626/4, 3719/3720, 3739/3720, 3626/7, 3626/9, 3626/10, 3626/8, 3626/13, 3626/14, व बिलानाम आराजी 3740/3720 की वर्तमान नक्शें में तरमीम अशुद्धि वक्त सेग्रीगेशन के दौरान सहवन से हुई है जिसे मौके एवं खातेदारों के पास उपलब्ध पासबुक के नक्शें अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है इस हेतु संबधित सभी खातेदारों को कोई आपत्ति नही हैं। भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया ने अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित तरमीम शुद्धि हेतु नक्शा (प्रदर्श संख्या–02) संलग्न कर बताया की संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है इस हेतु कोई उजर–आपत्ति नही है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र में संलग्न राजस्व रेकॉर्ड व उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

::–आदेश::–

अतःतहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या नया 787 व पुराना 704 के आराजी संख्या 3626/13 रकबा 2.5920 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या नया (791) पुराना (708) में वर्णित आराजी 3626/14 रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि, एवं खाता संख्या नया (789) पुराना (706) में वर्णित आराजी 3626/8 रकबा 0.7560 हैक्टेयर भूमि की कुल किता 03 कुल रकवा 5.5080 हैक्टेयर भूमि एवं राजस्व ग्राम लसाडिया के आराजी क्रमशः 3626/6, 3626/12, 3626/2 3626/4, 3626/11, 3626/4, 3719/3720, 3739/3720, 3626/7,

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.

3626/9, 3626/10, 3626/8, 3626/13, 3626/14, एवं बिलानाम आराजी 3740/3720 आराजीयों के उपस्थित खातेदारों द्वारा द्वारा मौके अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम शुद्धि करने हेतु सहमत होने एवं भूमिधारी तहसीलदार द्वारा अनुशंषा करने के आधार पर तहसीलदार लसाडिया द्वारा पेश नक्शा ट्रेस (प्रदर्श संख्या –02) अनुसार तरमीम शुद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तदनुसार जमावन्दी मे अमलदरामद एवं तरमीम हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026.को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश आचार्य आर.ए.एस.)
उपखण्ड़ अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)